शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण योजना (सीबीयूएलबी)

1. परिचय

क्षमता निर्माण एवं उत्तम वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों को मजबूती प्रदान करने की पहचान 11वीं योजना में शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्यनीति के रुप में की जाती है । यह प्लान महत्वपूर्ण मामलों में से किसी के रुप में कौशल मानव शक्ति की कमी की पहचान करवाता है एवं राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर प्रशिक्षण संस्थानों की गतिविधियों में समन्वयन के लिए शीर्ष एजेंसी की स्थापना की सिफारिश करता है । प्रशासनिक सुधार आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता गैप को भरने के लिए शहरी शासन क्षमता निर्माण कार्यक्रम का प्रस्ताव भी रखा है ।

शहरी विकास मंत्रालय ने प्रोजेक्ट एवं सुधारों के क्रियान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता का आकलन करने के लिए जेएनएनयूआएम एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न पहलें की हैं । इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

क. हब्स एवं नेटवर्क

छह सूचीबद्ध रीजन हब संस्थानों (आरएचएल) के योजनात्मक प्रबंध सहित आपूर्ति को बढ़ाना तथा इस आधार पर प्रशिक्षण की मांगों को पूरा करने के लिए हब संस्थानों के लिए अधिक से अधिक संख्या में संस्थानों के नेटवर्क में संबंध स्थापित करना ।

ख. रैपिड प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरटीपी)

उन धीरे कार्य निष्पादन वाले शहरों को प्राथमिकता देना जो तीन प्राथमिकता मोडयूल, शासन एवं सुधार, ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का पर्यवेक्षा / तैयार करना तथा परियोजना प्रबंधन पर जेएनएनयूआरएम फंड की पहुंच से पीछे रहे हैं तथा क्रियान्वयन शुरु हो चुका है ।

ग. पीएर एक्सपीरियंस एवं रिफ्लेक्टिव लर्निंग (पीईएआरएल) प्रोग्राम की शुरुआत समरुप सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल पर आधारित पांच समूहों में बटें शहरों तथा संस्थानों के बीच क्रास लर्निंग पोषण के लिए की जा चुकी है । प्रत्येक समूह में एक जानकारी प्रबंधन (चयनित संस्थान) समन्वय करता है एवं शहरी विकास मंत्रालय की सहायता से संयुक्त हित एवं मूल्य की गतिविधियों को आयोजित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है ।

घ. विकेन्द्रीकृत शहरी शासन के लिए क्षमता निर्माण हेतु यूएनडीपी- भारत सरकार पहल

यूएनडीपी- भारत सरकार पहल की शुरुआत नवम्बर, 2006 में की गई थी । लेखागणना सुधार, संपत्ति कर सुधार तथा शहरी विकास प्लान के क्षेत्रों में यूएलबी के हाथों में रखने के लिए 4 राज्यों तथा 16 यूएलबी में फैला यह 14 महीनों का समयबद्ध कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम को चुने हुए स्थानों जो अन्य शहरों पर प्रदर्शनात्मक प्रभाव छोड़ेंगे, पर जेएनएनयूआरएम के साथ जोड़ा गया है ।

ड. कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (पीएमयू)

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत प्रोजेक्ट एवं सुधारों के प्रभावशाली समन्वयन क्रियान्वयन के लिए एसएलएनए की क्षमता को मजबूती प्रदान करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट(पीएमयू) को सहायता प्रदान कर रहा है । संविदा आधार पर खुले बाजार से भर्ती किए हुए व्यावसायिकों के एक दल को समाहित करने के लिए एक प्रतिरुपक पीएमयू प्रस्तावित है ।

च. परियोजना क्रियान्वयन यूनिट(पीआईयू)

जेएनएनयूआरमए के अंतर्गत प्रोजेक्ट एवं सुधारों के प्रभावी रुप से क्रियान्वयन के लिए यूएलबी की क्षमता को बढ़ाने के लिए उनको प्रोजेक्ट क्रियान्वयन यूनिट (पीआईयू) स्थापित करने के लिए सहायता दी जा रही है ।

छ. वर्ल्ड बैंक सहायतार्थ शहरी मजबूती एवं ट्रांसफोर्मेशन परियोजना

आईडीए पद्धति पर वर्ल्ड बैंक क्रेडिट के साथ छोटे एवं मझोले कस्बों (यूआईडीएसएसएमटी) के लिए शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजना एवं जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत आवश्यक शहरी सुधार को क्रियान्वित करने के लिए चनित शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को मजबूती प्रदान करने के लिए केन्द्रीय योजना के रुप में जेएनएनयूआरएम शहरी मजबूती एवं ट्रांसफोर्मेशन (जेयूएसटी) परियोजना प्रस्तावित है । जेयूएसटी प्रोजेक्ट आवश्यक शहरी सुधारों का जिम्मा लेने के लिए यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत शामिल शहरों की अपेक्षाओं की संस्थागत मजबूती को पूरा करेगा चूंकि यह योजना वर्तमान में शहरों में पर्याप्त क्षमता निर्माण सहायता प्रदान नहीं करता है । यह परियोजना सुधारों के क्रियान्वयन हेतु जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत चुने शहरों की विशिष्ट क्षमता निर्माण जरुरतों को भी पूर्ण करेगी ।

ज. पीएचई प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभिन्न राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों, जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड, शहरी स्थानीय निकायों के इन सर्विस इंजीनियरों एवं पैरा इंजीनियरिंग स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 1956 में इस मंत्रालय द्वारा पीएचई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया गया था । विवरण निम्नानुसार है :-

- **लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग /पर्यावरणीय इंजीनियरिंग में स्नात्तकोत्तर कोर्स**

  यह प्रशिक्षण निम्नलिखित अकादमी संस्थानों में दिया जाता है:-

  i. आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ हाइजिन एंड पब्लिक हैल्थ, कोलकाता
  ii. वीरमाता जीजा बाई टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, मुंबई
  iii. अन्ना यूनिवर्सिटी, चैन्नई
  iv. विशेशवराय नैशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, इलाहाबाद
  v. मोतीलाल नेहरु नैशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, इलाहाबाद
  vi. श्री जयचमाराजेन्द्र कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैसूर
  vii. जी एस इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी एंड साइंस, इंदौर

viii. आई आई टी पोवई, बंबई, मुंबई ।
ix. मालवीय नैशनल इंस्टीटयूटी आफ टेक्नालाजी, जयपुर
x. आई आई टी खडगपुर, पश्चिम बंगाल
xi. आई आई टी दिल्ली, नई दिल्ली
xii. जवाहरलाल नेहरु टेक्नालीजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद ।

इस स्नातकोत्तर कोर्स की अवधि इस महिने है । वर्तमान में सभी प्रशिक्षुओं के लिए शहर/ राज्य से बाहर के प्रशिक्षुओं केा 24 महीनों के लिए 2000/-रु0 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति को पूरा करने एवं सभी प्रशिक्षुओं को ट्यूशन एवं परीक्षा फीस के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है । इसके अलावा, 4 समेस्टर के लिए प्रति छात्र को प्रति सेमेस्टर 8500/-रुपये का आकस्मिकता अनुदान अनुमेय है एवं एक प्राफेसर तथा एक सहायक प्रोफेसर को स्टाफ सहायता भी इन संस्थानों को दी जा रही है ।

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग में अल्प अवधि कोर्स**

यह कार्यक्रम इस रुप में तैयार किया गया है कि राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभागों/ जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्डों/ शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के विशेष बिन्दुओं की दिशा में पर्याप्त ध्यान दें ताकि वे इस क्षेत्र में इसको लागू कर सकें । इस कोर्स की अवधि तीन माह है । छात्रवृत्ति, ट्यूशनल फीस, फील्ड दौरे आदि पर खर्च के रुप में वित्तीय सहायता को बढ़ाया गया है, इस प्रकार व्यय का बड़ा हिस्सा बंट जाता है । वर्तमान में, यह अल्प अवधि कोर्स 2 संस्थानों अर्थात (1) अन्ना यूनिवर्सिटी, चैन्नई एवं (2) श्री जयाचमाराजेन्द्र कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैसूर समाहित हैं ।

- **रिफ्रेशर कोर्स**

विभिन्न अकादमी, रिसर्च एवं व्यावसायिक संस्थानों तथा राज्य विभागों के माध्यम से इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न विशेषज्ञताओं पर विविध रिफ्रेशर कोर्स चलाए जा रहे हैं । वक्ताओं को मानदेय, फील्ड दौरे पर खर्च, लेक्चर सामग्री आदि को तैयार करने आदि के रुप में प्रशिक्षण कोर्स चलाने वाले संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

i. कार्यशालाएं, सम्मेलन, संगोष्ठी, अनुसंधान अध्ययन को प्रायोजित करने आदि का आयोजन करना :

यह मंत्रालय शहरी मुद्दों से संबंधित कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों को सहायता प्रदान कर रहा है । इनको सहायता प्रदान करना जारी रहेगा । शहरी परिवहन के अंतर्गत एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है ।

विद्यमान तंत्रों के अनुसार विद्यमान कार्यक्रमों को चलाना जारी रखा जाएगा ।

2. क्षमता निर्माण हेतु मौजूदा सांस्थानिक प्रबंध

शहरी एवं पर्यावरणीय अध्ययन हेतु क्षेत्रीय केन्द्र

शहरी एवं पर्यावरणीय अध्ययन हेतु क्षेत्रीय केन्द्र (आरसीयूईएस) की स्थापना शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुंबई, लखनऊ एवं हैदराबाद में की गई है । शहरी नीति अनुसंधान, तकनीकी सलाहकार सेवा एवं वरिष्ठ तथा मध्य स्तर के अधिकारियों तथा शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण शुरु करने हेतु नई दिल्ली में आईआईपीए में 1968 में शहरी अध्ययन हेतु केन्द्र की स्थापना की गई थी । इन केन्द्रों को शहरी विकास मंत्रालय का पूरा समर्थन प्राप्त है । आरसीयूईएस शहरी स्थानीय निकायों के चयनित एवं कार्यालयी अधिकारियों के अच्छे शहरी शासन हेतु अपेक्षित ज्ञान एवं कार्यकुशलता को बढ़ाकर उनके कौशल तथा क्षमता को सुधारने में मदद करते हैं एवं ऐसे माहौल में विषयक मुद्दों के बारे में वर्तमान सोच को बढ़ाना चाहिए जो यूएलबी में उनके अपने अपेक्षित कार्य करने में सुविधाजनक बनाता है ।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

वर्ष 1976 में स्थापित, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) शहरी विकास एवं प्रबंधन में अनुसंधान प्रशिक्षण एवं सूचना प्रसार हेतु एक प्रीमियर संस्थान है ।

उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित संस्थान भी यूएलबी हेतु क्षमता निर्माण में शामिल है ।

अखिल भारतीय स्थानीय एवं शासन संस्थान

इस संस्था का मुख्य कार्यकलाप नगर पालिका प्रशासन में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रोत्साहन एवं समर्थन पर ध्यान देना है । इसके प्रारंभ से संस्था ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों एवं साथ ही साथ भ्रमणशील एवं स्थायी केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न राज्यों को कवर किया है । इसने अनुसंधान अध्ययन शुरु किया है तथा विशेष पाठ्यक्रम , सेमिनार, सम्मेलन आयोजित एवं संचालित करता है तथा नगरपालिका प्रशासन के कर्मचारियों एवं गैर कर्मचारियेां के लिए खुला मंच उपलब्ध कराता है ।

प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान

प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान सरकार के नियम-विनियम की स्थापित प्रणाली के आधार पर अच्छे शासन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान के प्रचार हेतु राज्य स्तर पर स्थापित किए जाते हैं । ये संस्थाएं राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के प्रभावी मानव शक्ति एवं वित्तीय प्रबंधन में प्रशिक्षण भी कराती है ।

8. निगरानी और मूल्यांकन समिति

इस स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित कार्यकलापों की निगरानी और मूल्यांकन संयुक्त सचिव(शहरी विकास) की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया जाएगा । समिति के सदस्यों की संख्या नीचे दर्शायी जाती है:-

1.	संयुक्त सचिव, शहरी विकास	-	अध्यक्ष
2.	सलाहकार (पीएचईई), सीपीएचईईओ	-	सदस्य
3.	निदेशक(डब्ल्यूएस)	-	सदस्य
4.	मुख्य इंजीनियर, सीएसक्यू(केलोनिवि)	-	सदस्य
5.	निदेशक(एनयूआरएम)	-	सदस्य
6.	मुख्य नियोजक, टीसीपीओ	-	सदस्य
7.	निदेशक(शहरी विकास)	-.	सदस्य सचिव

विचारणीय विषय:

1. संस्वीकृति समिति के दिशानिर्देशानुसार क्षमता निर्माण प्रस्ताव के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करना ।
2. स्वतंत्र पुनरीक्षा में सहायता करना
3. प्रगति और परिणाम की स्थिति के बारे में संस्वीकृति का मूल्यांकन करना

9. सूचना और प्रसार

इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्ताव, प्रगति की स्थिति और परिणाम का ब्यौरा इस मंत्रज्ञलय की वेबसाईट के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा । यह वेबसाईट क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए अन्य वेबसाईट के साथ भी जोड़ी जाए । इस स्कीम के अंतर्गत व्यापक प्रसार के लिए चलाए गए कार्यकलापों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी ।

10. प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

राज्यों को यह अनुरोध किया जाएगा कि वे उन प्रस्तावों की जांच के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों का चयन रकें जिन्हें शहरी स्थानीय निकाय/ राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया जाएगा । राज्य स्तरीय जांच समिति की अध्यक्षता शहरी विकास के प्रभारी सचिव द्वारा की जाएगी । जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को वही प्राथमिकता दी जाएगी ।

सीओई और अनुसंधान (अनुलग्नक-I) के गठन के लिए प्रस्तावों को उनके प्रस्तावों और इस मंत्रालय द्वारा चुने गए क्षेत्रों के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय को अनुरोध के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किया जाएगा । परियोजना संस्वीकृति समिति द्वारा क्षेत्रों का चयन किया जाएगा ।

अनुलग्नक-I

शहरी विकास संबंधी उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव

शहरी प्रबंधन, परियोजना कार्यान्वयन तथा शहरी शासन के विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि नगरपालिका सेवा सुपुर्दगी एवं प्रबंध में सुधार के लिए अपेक्षित जानकारी आधार तैयार किया जा सके । प्रत्येक केन्द्र का कार्यक्षेत्र अलग होगा तथा सभी उत्कृष्टता केन्द्र नवीनतम अनुसंधान, क्षमता निर्माण तथा तकनीकी जानकारी आधार को प्रोत्साहित करेंगे । उत्कृष्टता केन्द्र राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तरों पर शहरी विकास मुद्दों का समाधान करेंगे और राज्य व स्थानीय सरकारों को निम्नलिखित कार्यों में सहायता देंगे:-

- शहरी क्षेत्र में नीति की प्रवृत्तियों के संबंध में जागरुकता बढ़ाना ।
- कानूनी ढांचा, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय कार्य करते हैं, की समझ
- शहरी प्रशासन में सुधार के लिए प्रबंधकीय, तकनीकी व विश्लेषणात्मक दक्षता का विकास ।
- नागरिकों पर केन्द्रित शासन की स्थापना के उद्देश्य से विभिन्न हितबद्धों- जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों, मीडिया, कर्मचारी यूनियन आदि के साथ कार्य करने हेतु अपेक्षित नेतृत्व दक्षता का विकास ।
- भारत के विभिन्न शहरों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर लोक प्रबंधन की वैकल्पिक प्रणालियों से सीखने का अवसर उपलब्ध कराना ।
- चुनिंदा नगरों द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों जैसे वित्तीय प्रबंधन व लेखा सुधार, संसाधन एकत्रीकरण अथवा जल व सफाई सेवा सुपुर्दगी सुधार से संबंधित पाठ्यक्रम तथा कार्यशालाओं का आयोजन ।
- भारत के अन्य शहरों के अनुभव के मामला अध्ययनों पर आधारित व्यवहारिक, प्रायोगिक प्रशिक्षण सत्र ।
- नैटवर्किंग तथा पढ़ाई के माध्यम से जानकारी, सुविज्ञता व अनुभव का आदान-प्रदान तथा अंतरण, और
- परियोजनाओं व कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग के लिए राज्य/ स्थानीय सरकारों को दिशानिर्देश उपलब्ध कराना ।

इन सीओई को निम्नलिखित क्षेत्र कवर करना चाहिए :-

क. जलापूर्ति एवं सफाई व्यवस्था ;
ख. ठोस कचरा प्रबंधन एवं अन्य सेवाएं ;
ग. शहरी परिवहन ;
घ. शहरी नियोजन एवं भूमि प्रबंधन ;
ड. वित्तीय प्रबंधन एवं वित्त ;
च. ई-शासन ;
छ. शहरी सुधार ; और
ज. परियोजना कार्यान्वयन एवं प्रबंधन ।

सीओई के मुख्य कार्य निम्न को पूरा करना प्रत्याशित है:-

(क) निर्वाचित नेताओं, अधिकारियों एवं सामुदायिक नेताओं में जागरुकता पैदा करके सरकार की सहायता करना ;
(ख) राज्यों/ स्थानीय सरकारों को संगत क्षेत्र में उनके कार्यों में सहायता प्रदान करना ;
(ग) राज्य एवं स्थानीय सरकारों को शहरी विकास से संबंधित मामलों में सलाह/मार्गदर्शन प्रदान करना ;
(घ) प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान, प्रशिक्षण सामग्री की तैयारी, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, एक दूसरे का दौरा इत्यादि के संबंध में क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करना ;
(ड.) सूचना (वेबसाईट प्रबंध करने सहित) के संसाधन केन्द्र के रुप में कार्य करना ;
(च) दस्तावेज तैयार करना, अच्छे प्रयासों का प्रचार करना एवं बांटना ;
(छ) तकनीकी सहायता मुहैया कराना ;
(ज) आवश्यक हो तो अपना कार्रवाई अनुसंधान करना ; और
(झ) एक दूसरे से सीखने हेतु क्षेत्र में कार्य करने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ नेटवर्क ।

भारत सरकार पूर्ववर्ती पैरा में निहित समग्र स्कीमों में निर्धारित विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करेगी । इन प्रस्तावों में निम्नलिखित बिन्दू शामिल होने चाहिए :-

क. संगठन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि ;
ख. ऐसे कार्यों के पिछले अनुभव ;
ग. अभिरुचि के क्षेत्र ;
घ. शुरु किए जाने वाले कार्यों के संबंध में कार्य योजना ;
ड. किए जाने वाले अनुसंधान ;
च. प्रस्तावित प्रचार तरीका ;
छ. आउटरीच का स्तर ;
ज. मौजूदा स्टाफ एवं अवस्थापना ;
झ. विस्तृत बजट; और
_ा. विशिष्ट परिणाम एवं संभावित लाभ ।